राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः 3.(1)(9)प्रथम/निर्वा/2024/ 1054 जयपुर, दिनांकः 7/2/24

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः–

1. आम आदमी पार्टी, 10, भवानी सिह लेन, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर
2. बहुजन समाज पार्टी, डी–170/सी भृगु मार्ग, बनीपार्क जयपुर।
3. भारतीय जनता पार्टी, सी–51 सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया, (मार्क्ससिस्ट) मजदूर किसान भवन, स्टेशन रोड, जयपुर।
5. इण्डियन नेशनल कांगेस, राजस्थान प्रदेश कांगेस कमेटी, इन्दिरा गांधी भवन, स्टेशन रोड, जयपुर।
6-नेशनल पीपुल्स पार्टी, प्लॉट नं0 Lachaumiere Dis., East Khasi Hills Dist., Shillong- 793001
7. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, प्लॉट नं. 26–27 आउट ऑफ खसरा 170/151, तेजा कॉलोनी, निकट शीतला माता मंदिर, मानासर, जिला नागौर, राजस्थान–341001
8. समस्त राज्य स्तर के पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।

विषयः– लोकसभा आम चुनाव, 2024 –चुनाव घोषणा पत्र भिजवाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/2024 (Election Manifestos)/631 दिनांक 02 जनवरी 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में लोकसभा आम चुनाव, 2024 निकट भविष्य में सम्पन्न होने हैं। आगामी लोकसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगीं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की सूचना भारत निर्वाचन आयोग की राजकीय वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी साथ ही आपको विभाग द्वारा सूचना दे दी जायेगी तथा मीडिया के माध्यम से भी इसकी सार्वजनिक जानकारी हो जायेगी।

प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की गई हैं कि उनके द्वारा जब भी चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जावे, उसके तीन दिवस की अवधि में वे अपने निर्वाचन घोषणा पत्र को हिन्दी/अग्रेंजी संस्करण के साथ निर्वाचन रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को प्रेषित किया जावें।

साथ ही राजनैतिक दलों से घोषणा पत्र के साथ एक अतिरिक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया जाता हैं कि कार्यक्रम/नीतियां और वायदे आदर्श आचार संहिता के भाग VIII (प्रति संलग्न) के अनुरूप हैं। इसके संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्रांक 437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/ 2024 (Election Manifestos)/631 दिनांक 02 जनवरी 2024 के द्वारा विस्तृत दिशा--निर्देश प्रदान किये गये हैं, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतः उक्त पत्र की पालना करते हुए आपसे अनुरोध किया जाता हैं कि आपके द्वारा चुनाव घोषणा पत्र जारी किये जाने के तीन दिवस में, चार प्रतियों में उपरोक्तानुसार घोषणा पत्र प्रेषित करावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

एफ 3.(1)(9)प्रथम/निर्वा/2024/ 1054

जयपुर, दिनांकः 7/2/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.), निर्वाचन विभाग को पत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित हैं।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/2024 (Election Manifestos)/631 **Dated: 2nd January, 2024**

To,

(i) The Chief Secretaries
of all States and Union Territories.

(ii) The Chief Electoral Officers
of all States and Union Territories.

(iii) President/Chairperson/General Secretaries
of all recognized National and State Political Parties

Subject: -Model Code of Conduct – Instruction- Election Manifestos – Regarding.

Reference: Commission's instructions:

(i) No. 437/6/Manifesto/2015/CC dated 24.04.2015
(ii) No. 437/6/Manifesto/2015/CC dated 24.04.2015
(iii) No. 437/6/INST/2016/CCS dated 23.08.2016, and
(iv) No. 437/6/INST/2016/CCS dated 27.12.2016

Madam/Sir,

As you are aware that on the direction of the Hon'ble Supreme Court, the Commission, after consultation with the political parties, framed guidelines for election manifestos and incorporated the same in the "Model Code of Conduct for the Guidance of the Political Parties and Candidates". A number of instructions in the matter have been issued by the Commission since then. Following are the consolidated instructions in supersession of all the instructions issued vide letters listed above:

(i) Chief Electoral Officer should obtain three copies of the Election Manifestos from the Political Parties along with its Hindi/English version (if the original version is in regional language) within three days of its release.

Further, the Commission is of the view that the Political Parties and candidates while releasing their election manifesto for any election to the Parliament or State Legislatures, should adhere to the guidelines, particularly, Para 8(iii) of Model Code of Conduct. In this regard, all the political parties

should submit a declaration along with its manifesto that the program/policies and promises made therein are in consonance with Para-VIII of MCC which inter-alia provides that:-

"(iii) in the interest of transparency, level playing field and credibility of promise, it is expected that manifesto also reflect the rationale for the promises and broadly indicate the ways and means to meet the financial requirement for it. Trust of voters should be sought only on those promise which are possible to be fulfilled."

(ii) Prohibitory period of Release of Manifesto during elections(s)

a. In case of single-phase election, manifesto shall not be released during the prohibitory period, as prescribed under Section 126 of the Representation of the People Act, 1951.

b. In case of multi-phase elections, manifesto shall not be released during the prohibitory periods, as prescribed under Section 126 of the Representation of the People Act, 1951, of all the phases of those elections.

The above instructions of the Commission shall be brought to notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
SR. PRINCIPAL SECRETARY